



**चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ**  
**Chaudhary Charan Singh University, Meerut**

पत्रांक : परीक्षा/3561  
 दिनांक : 07.03.2021

**विज्ञप्ति**

सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय परिसर में सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित एलटएलटी० (३ वर्षीय) एवं एलटएलटएल० पाठ्यक्रम के सभ २०२०-२१ की विषय सेमेस्टर (दिसम्बर-२०२०) केवल प्रथम सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं की गुणव्य परीक्षा/वेपर परीक्षा/भूतपूर्व पाठ्यों के परीक्षा फार्म भागीदारी कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.ccsuniversity.ac.in](http://www.ccsuniversity.ac.in) एवं [www.ccsuweb.in](http://www.ccsuweb.in) पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी द्वारा भरवाये जाने वाली अनियम तिथि दिनांक 07.03.2021 निर्धारित थी।

भागीदारी कुलपति जी के आदेशानुसार परीक्षा फार्म भरने से विषय केवल एलटएलटी० (विवरीय) एवं एलटएलटएल० पाठ्यक्रमों में अवधिकारी छात्र/छात्राओं को विभागीय अभी तक परीक्षा फार्म नहीं भरा है। अनियम अवधार प्रदान करते हुए विवरीय दिनांक 17.03.2021 तक पुनर वित्तारित की जाती है।

**ऑन-लाईन परीक्षा फार्म भरने की निर्धारित विविध नियमानुसार है :-**

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 01. | छात्र/छात्राओं को परीक्षा फार्म वेबसाईट पर उपलब्ध होने की तिथि  | 17.02.2021 |
| 02. | छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म वेबसाईट पर ऑन-लाईन भरने की तारा ऑन-लाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की पुनरीक्षित अनियम तिथि           | 17.03.2021 |
| 03. | रामस्त ईलेक्ट्रिक प्रगाहन पाठ्यों राहित परिपूर्ण परीक्षा फार्म महाविद्यालय/संस्थान में जमा कराने एवं सत्यापन कराये जाने की अनियम तिथि | 18.03.2021 |
| 04. | महाविद्यालय/संस्थानी द्वारा सत्यापित करने के पश्चात परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अनियम तिथि           | 20.03.2021 |

- नोट :-**
1. समस्त छात्र/छात्राओं परीक्षा फार्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध सेमेस्टर पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त नियमों का भागी-भागी अधायण करने के पश्चात ही परीक्षा फार्म भरा जाना सुनिश्चित करें।
  2. समस्त छात्र/छात्राओं को अपना मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) (पूर्णी० बोर्ड को छोड़कर/अन्य विश्वविद्यालय से प्राप्त) परीक्षा फार्म के साथ अनियार्थ रूप से संलग्न करते हुये अलग से सूची परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें एवं प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) संलग्न करने वाले छात्र से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति प्रपत्र भी देना सुनिश्चित करें।
  3. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/समनायक, समस्त सम्बद्ध नहाविद्यालय/संस्थान/परिसर, चौधरी वरन सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से अनुरोध है कि परीक्षा फार्म के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र के तात्पूर प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) (पूर्णी० बोर्ड को छोड़कर/अन्य विश्वविद्यालय से प्राप्त) अनियार्थ रूप से संलग्न करते हुये अलग से सूची परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जावेगा। अन्यथा सन्दर्भित परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्बन्धित प्रारूप पर प्राप्ति प्रपत्र भी देना सुनिश्चित करें।
  4. ऐसे पाठ्यक्रमों विभाग में पुनर बैक परीक्षा देने की सुविधा विश्वविद्यालय नियमों में अनुमत्य है, ऐसे छात्र/छात्राओं के पुनर बैक परीक्षा फार्म जमा करते रागय यह अवश्य सुनिश्चित कर तिथा जाय कि सम्बन्धित छात्र/छात्र ने उन्ही क्लोटी की पुनर बैक परीक्षा फार्म भरा है, जिनमें वह पूर्व में बैक परीक्षा हेतु समिलित हो चुका है। अर्थात किसी भी छात्र/छात्रा को, कोड परिवर्तन कर पुनर बैक परीक्षा में सम्बन्धित होने की अनुमति नहीं है।
  5. विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ दो सेमेस्टरों के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अहं नहीं होगा।

*(Signature)*  
**छात्रांक नियन्त्रक**

**प्रतिलिपि नियमानुसार विवरीय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

01. भागीर्ध/भागीर्धा/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, और घरन सिंह विभागप्रबन्ध/समन्वयक, विभागी परिसर, मेरठ को इस नियम के तात्पूर प्रेरित कि परीक्षा फार्म अप्रसारण से पूर्व अहींता की भागी-भागी जाय रह ली जाय कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र अवधेन कर रहा है, उसके लिए वह अहं है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति वे परीक्षा फार्म नियमत कर दिया जायेगा, जिसका पूर्व उत्तरदायित सम्बन्धित प्रात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान/विभाग का होगा।
02. सचिव हुलपति को, माननीय कल्याणी जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
03. ईलेक्ट्रिक सहायक-प्रति कुलपति को, माननीय प्रति कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
04. ईलेक्ट्रिक सहायक-कुलपति को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
05. ईलेक्ट्रिक सहायक-परीक्षा विवरक को परीक्षा विवरक जी के सूचनार्थ।
06. ईलेक्ट्रिक सहायक-विभाग अधिकारी को वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
07. सेखायिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
08. उप कलसचिव/सहाय कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/तेजा/साधन/कमीटी सेत/अति गोपनीय विभाग)।
09. विश्वविद्यालय पूर्णांच बोर्ड/सुब्का फट।
10. विश्वविद्यालय प्रसा प्रवक्ता/प्राचारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
11. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत कल्याणी, को इस आवश्य के साथ कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्मों को विश्वविद्यालय नियमानुसार एवं उपरोक्त प्रात्र ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त सन्दर्भित विज्ञप्ति छात्र/छात्र को परीक्षा फार्म भरने के राय ही उपलब्ध हो।

*(Signature)*  
**सहाय कुलसचिव (परीक्षा)**